भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1619
सोमवार, 3 अगस्त, 2026 (12 श्रावण, 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

'वीटी' चिह्न के स्थान पर वैकल्पिक श्रृंखला हेतु आईसीएओ को भेजे गए अभ्यावेदन

1619. श्रीमती सागरिका घोषः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2021 से अब तक भारत के विमान राष्ट्रीयता चिह्न 'वीटी' के स्थान पर किसी वैकल्पिक श्रृंखला को स्वीकृत किए जाने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) को कोई प्रस्ताव अथवा अभ्यावेदन भेजा है और यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्तावों/अभ्यावेदनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, किस किस तारीख तो वे भेजे गए तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के बीच हुए समस्त पत्राचार का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक प्रस्ताव का परिणाम क्या रहा; और

(ग) क्या इनमें से किसी प्रस्ताव को आईसीएओ द्वारा अस्वीकार किया गया, विचाराधीन रखा गया अथवा बंद कर दिया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): विमान राष्ट्रीयता चिह्न और पंजीकरण पर शिकागो अभिसमय के अनुलग्नक 7 में उपयुक्त विमान राष्ट्रीयता चिह्न, सामान्य चिह्न और पंजीकरण चिह्नों के प्रदर्शन के लिए मानक और अनुशंसित परिपाटियाँ (एसएआरपी) प्रदान की गई हैं।

शिकागो अभिसमय के अनुलग्नक 7 के प्रावधानों के अनुसार भारत को राष्ट्रीयता पंजीकरण चिह्न वीटी (VT) आवंटित किया गया है और इस प्रकार, प्रत्येक भारतीय विमान पंजीकरण चिह्न में 'वीटी' अक्षर विद्यमान है।

इस मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है और दूरसंचार विभाग के साथ इस पर कार्रवाई की जा रही है।
